

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग में अपीलीय अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश उपाध्याय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

अपील प्रकरण क्रमांक

17/2006

श्री रामप्रकाश शर्मा

गीतांजली नगर रायपुर

— अपीलार्थी

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

— रिस्पॉण्डेंट

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

(दिनांक 22.06.2006 को पारित)

अपीलार्थी श्री रामप्रकाश शर्मा ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णय दिनांक 04.05.2006 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

2/ जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 04.05.2006 से जो जानकारी अपीलार्थी को दी है उसके संबंध में अपीलार्थी का प्रमुख तर्क निम्नानुसार है:-

(1) अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 07.04.2006 की कण्डिका 01 में अपीलार्थी ने सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 1-1/2005/1/6 दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(डी) अनुसार इस निर्णय से प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक एवं न्यायिक कल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराने संबंधी शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी माँगी गई है जो अपीलार्थी को नहीं दी गई।

2/

//2//

(2) प्रश्नाधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व इससे संबंधित समस्त शासकीय व्यवहार (शासकीय आदेश कमांक, नोटशीट, सचिव्युलर आदि) की छायाप्रति मांग गई थी जो प्रदाय नहीं की गई है।

3/ अपीलार्थी के तथा जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

4/ अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि प्रश्नाधीन अधिसूचना को जारी करने से संबंधित शासकीय पत्र व्यवहार, नोटशीट आदि की प्रति उसने मांगी थी जो उसे प्रदाय नहीं की गई है।

5/ जनसूचना अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग के उस पत्र की फोटोप्रति उपलब्ध करवाई है जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी के आवेदन के संदर्भ में प्रदाय की है।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मांगी जानकारी (अभिलेख) उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जिस पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गई है उससे वांछित जानकारी पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिया जाना परिलक्षित नहीं होता है अतः यदि सामान्य प्रशासन विभाग अधिनियम की धारा 4(1)(डी) अनुसार कार्यवाही की हो तो उसकी जानकारी अपीलार्थी को दी जानी चाहिये अन्यथा जो भी स्थिति हो जानकारी दी जानी चाहिए।

6/ जहाँ तक इस अधिसूचना की पृष्ठभूमि से संबंधित शासकीय पत्र व्यवहार, परिपत्र आदि की फोटोप्रति अपीलार्थी को प्रदाय नहीं किये जाने का प्रश्न है, जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को जो पत्र की प्रति उपलब्ध कराया है उससे स्पष्ट है कि इसके संबंध में आवश्यक जानकारी/सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई है, अतः जनसूचना अधिकारी को चाहिए कि इस अधिसूचना जारी करने की पृष्ठभूमि में यदि किसी प्रकार का शासकीय पत्र व्यवहार, परिपत्र, नोटशीट आदि हो तो उनकी फोटोप्रति नियमानुसार अपीलार्थी को प्रदाय करें।

2006

प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण का अध्ययन किया गया छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 के नियम क्रमांक 3(3) के अंतर्गत अपील की सुनवाई हेतु संबंधित जनसूचना अधिकारी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है ताकि उनका पक्ष सुना जा सके। संबंधित जनसूचना अधिकारी को नोटिस दिये जाने की व्यवस्था है इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय हित में अपीलार्थी को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। चूंकि उपरोक्त नियम के नियम क्रमांक 3(3) में यह भी प्रावधान है कि जनसूचना अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए कम से कम 07 दिवस का नोटिस दिया जाना चाहिए अतः आगामी पेशी 07 दिवस के पश्चात् के किसी दिवस के लिये नियत करना होगा। अतः उभय पक्ष को दिनांक 12.06.2006 को 11.00 बजे सुनवाई के लिए आहूत किया जाय।

पेशी दिनांक 12.06.2006

सही / -

(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)
अपीलीय अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलार्थी श्री रामप्रकाश शर्मा उपस्थित। उनका पक्ष सुना गया।

6.2006

(2) श्री एस.मूर्ति, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्वतः उपस्थित। श्री एस.मूर्ति ने बताया कि अब वे जन सूचना अधिकारी नहीं हैं अतः वर्तमान जनसूचना अधिकारी को बुलाया जाना चाहिये। तदनुसार वर्तमान जनसूचना अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा।

(3) वर्तमान जनसूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं है उन्हें अलग से सुना जायेगा। अपील नियम के अनुसार उन्हें उपस्थित होने के लिये 07 दिवस का समय दिया जाना है अतः उन्हें तदनुसार नोटिस जारी हो।

(4) अपीलार्थी आगामी पेशी दिनांक को भी उपस्थित रहना चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।

पेशी दिनांक 20.06.2006

सही / -

(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)
अपीलीय अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

हस्ताक्षर
एस.मूर्ति

हस्ताक्षर
श्री रामप्रकाश
शर्मा

//3//

उपरोक्तानुसार यह अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी ऊपर पैरा- 05 एवं 06 में उल्लेखित सूचना/जानकारी/अभिलेख की फोटोप्रति अपीलार्थी को समयावधि के अंतर्गत प्रदाय करें।

हस्ता./

(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)

अपीलीय अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 22/06/2006

क्रमांक 32/सू.अ./अपी./2006

प्रतिलिपि:-

1. श्री व्ही.के.दुबे, जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर।
2. श्री रामप्रकाश शर्मा मकान नं.-150 सेक्टर-1 गीतांजली नगर रायपुर(छ0ग0)

इस आदेश के विरुद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी) के निम्नलिखित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

पता:-

मुख्य सूचना आयुक्त
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड,
शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक: 0771-4025868
0771-4025706

हस्ता./

अपीलीय अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग

**जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन
अपीलीय अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश उपाध्याय, विरोध दर्ता नम्बर 3
// आर्डर शीट //**

1. अपील प्रकरण क्रमांक :- 17/2006
2. अपीलार्थी का नाम :- श्री रामप्रकाश शर्मा
3. विषय :- लोक जनसूचना अधिकारी द्वारा
गलत, अपूर्ण तथा गुमराह क
प्रदान की गयी।
4. जन सूचना अधिकारी जिनके
आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत है :- श्री एस.मूर्ति
5. अपील ग्रस्त आदेश का दिनांक :- 04.05.2006
6. अपील प्रस्तुती का दिनांक :- 25.05.2006
7. अपील के निराकरण की
समय-सीमा :- 24.06.2006

(1)	(2)
आदेश क्रमांक, कार्यवाही की तारीख और स्थान	अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश पत्र अथवा कार्यवाही
25.05.2006	जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग एस.मूर्ति के समक्ष श्री रामप्रकाश शर्मा ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 1-1/2005/1/6 दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग अपने ज्ञापन दिनांक 04.05.2006 के जरिये जो जानकारी दी उस जानकारी को अपूर्ण एवं भ्रामक बताते अपीलार्थी श्री रामप्रकाश शर्मा ने अपील प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण में विचार हेतु संबंधित अधिनियम एवं नियमों के साथ प्रस्तुत किया जाय। पेशी दिनांक 31.05.2006 सही /- (चन्द्रप्रकाश उपाध्याय अपीलीय अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग)